न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 55/2017(2017/00342)

अनवान : —

शंकरलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा

प्रार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जांगिड़ प्रार्थी
श्री कृष्ण गर्ग अप्रार्थीगण

आदेश

दिनाक 10/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा ग्राम डूंगराना के वर्तमान खाता संख्या 440/403 के खसरा न0 83 की 1.518 है0, खसरा न0 215/1 की 1.556 है0 इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 3.0740 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा डूंगराना के वर्तमान खाता संख्या 374/348 के खसरा न0 83/1 की 1.517 है0, खसरा न0 215/2 की 1.619 है0, खसरा न0 218 की 0.506 है0, खसरा न0 642 की 0.776 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की कुल 4.418 हैक्टेयर अप्रार्थी रामकुमार के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन रोही मौजा डूंगराना के खसरा न0 215/2 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ अपनी खातेदारी रोही मौजा डूंगराना खसरा नम्बर 215/1 में प्रवेश करता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। इसलिए अप्रार्थी की रोही मौजा डूंगराना खसरा नम्बर 215/2 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम के लिये एक [illegible] रास्ता [illegible] में दर्ज की जावें। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन [illegible] अन्य कोई रास्ता [illegible] अथवा चालू नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 रामकुमार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है व पंहुचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी सदामत से इस रास्ते से चला आ रहा है तथा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा अपने खेत में पहुंचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थी वकील ने जाहिर किया कि रास्ता के बदले प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से अप्रार्थी को बदले में भूमि दी जाती है तो भूमि देने के लिये तैयार है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का आवागमन खसरा न0 216 में बने खाले से आवागमन होना बताया व प्रार्थी को 215/2 में रास्ता की कोई आवश्यकता नही होनी बताई।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन का कोई रास्ता नही है। स्वयं अप्रार्थी ने भी प्रार्थी का खाला से होकर आवागमन करना बताया है। इससे यह साफ है कि प्रार्थी के खेत में जाने के लिये चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी रामकुमार की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा डूंगराना के खसरा नम्बर 215/2 में एक गट्ठा चौड़ा उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तरफ रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा प्रार्थी के चिपते हुए खसरा नम्बर 215/1 में रास्ता के बदले में आने वाली भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी रामकुमार की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा डूंगराना के खसरा नम्बर 215/2 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा प्रार्थी के चिपते हुए खसरा नम्बर 215/1 में रास्ता के बदले में आने वाली भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावें। तहसीलदार भादरा [illegible] आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/21 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested